न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(50)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 669/IV/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.05.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल/होशंगाबाद संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2004-05.

सोनू शर्मा पिता चनद्रमोहन शर्मा
निवासी ग्राम देवीटोरी, तहसील सिरोन,
जिला विदिशा, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. भागचन्द पुत्र गरीब दास
   निवासी ग्राम देवीटोरी, तहसील सिरोन,
   जिला विदिशा, म.प्र.
2. म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.पी. भटनागर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/3/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल/होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 05.05.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देवीटोरी प.ह.नं. 7 के कोटवार नन्दा की मृत्यु हो जाने से रिक्त कोटवार पद हेतु उस पर नियुक्ति हेतु तहसीलदार, सिरोंज द्वारा कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने प्रथम इश्तिहार दिनांक 15.10.2003 को जारी किया। अंतिम तिथि दिनांक 21.10.2003 तक की अवधि में भागचंद का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। दोबारा इश्तिहार दिनांक 21.10.2003 को जारी किया गया और दूसरी बार की इश्तिहार में सोनू शर्मा का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुए आवेदक सोनू शर्मा को ग्राम देवीटोरी का मूल निवासी

होने, शिक्षित होने एवं अच्छे आचरण का होने से स्थाई कोटवार के पद पर नियुक्त किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध भागचंद द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल/होशंगाबाद संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2005 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को अनावेदक क्र. 1 को नियुक्ति कोटवारी पद पर करने हेतु भेजा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि अनावेदक क्र. 1 भागचंद ग्राम देवीटोरी का मूल निवासी नहीं है और न ही उसका मतदाता सूची में नाम अंकित है, फिर भी उसकी नियुक्ति का आदेश देकर क्षेत्राधिकार बाहर कार्य किया गया है, इस कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अनावेदक क्र. 1 का नाम ग्राम पंचायत देवीटोरी की ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में न रखकर अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि कोटवार का पद वंशानुगत नहीं होता है, किंतु फिर भी वसीयत को आधार मानकर अनावेदक क्र. 1 की नियुक्ति कर अवैधानिक एवं अनियमित आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है।

(4) अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदक को किस आधार पर अयोग्य माना तथा भागचंद को किस योग्यता को प्राथमिकता देकर नियुक्ति दी, ऐसा कोई कारण अपने आदेश में नहीं बताया है, इस कारण आदेश निरस्त करने योग्य है।

(5) अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि आवेदक सोनू पढा लिखा है तथा कक्षा 8 पास है, जिसका प्रमाण पत्र रिकॉर्ड के साथ संलग्न है,

किंतु भागचंद की नियुक्ति कर जो कि निरक्षर है, अपना आदेश त्रुटिपूर्ण पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किये जाने के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोनक से स्पष्ट है कि आवेदक गांव का मूल निवासी तथा आठवीं पास है। पहले इश्तहार के बाद एक ही आवेदन आया था, अत: दोबारा इश्तहार जारी करने में तहसील न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की थी। अनावेदक बिना पढ़ा लिखा है। इस न्यायालय के न्याय दृष्टांत 1986 आर.एन. 247 में स्पष्ट रूप से माना गया है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा प्रयुक्त विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी की गई है। अपर आयुक्त को अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष में तब तक परिवर्तन नहीं करना चाहिए था, जब तक कि आवेदक को उस पद के अयोग्य होने लायक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं थे। अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल/होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2005 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर